

**अत्यावश्यक**  
**पंचायत / नगरपालिका उप**  
**निर्वाचन, 2023**



**राज्य निर्वाचन आयोग**  
**बिहार**  
**STATE ELECTION COMMISSION,**  
**BIHAR**

संख्या-पं0नि0-30-06 / 2023.....<sup>3986</sup>  
प्रेषक,

संयुक्त सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत / नगरपालिका), बिहार।

पटना, दिनांक-<sup>24/11/23</sup>

**विषय :-** पंचायत / नगरपालिका उप-निर्वाचन, 2023; फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।


**प्रसंग :-** आयोग का पत्रांक-3654 दिनांक-18.10.2023 एवं पत्रांक-3653 दिनांक-18.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत / नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 हेतु मतदाता सूची की तैयारी संबंधी दिशा निर्देश एवं कार्यक्रम प्रेषित किये गये हैं। प्रेषित पत्र में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया है कि दिनांक-01.01.2023 के अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक-27.01.2023 को बिहार विधानसभा का अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का डाटा आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध है एवं उसी डाटा से पंचायत / नगरपालिका उप निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार किया जाना है।

प्रारूप प्रकाशन के क्रम में यह मामला प्रकाश में आया है कि कुछ जगह दिनांक-01.01.2023 के अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन नहीं किया गया है।

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं संबंधित निबंधन पदाधिकारी जाँच कर यह आश्वस्त हो ले कि दिनांक-01.01.2023 के अर्हता तिथि के आधार पर ही मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। यदि त्रुटि पाई गयी है तो वहाँ त्रुटि निवारण के उपरान्त ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन  
  
24/11/23  
संयुक्त सचिव।